SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
April – June 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-2

दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की निजता का अधिकार और मीडिया की भूमिका"

विवेक प्रताप सिंह
सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

यह शोधपत्र दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की निजता के अधिकार और मीडिया की भूमिका का संवैधानिक, कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसे के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ निर्णय द्वारा पुष्ट किया गया। साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228A यौन अपराधों में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सख्त निषेध लगाती है। इसके बावजूद, मीडिया कई बार सनसनी फैलाने की होड़ में पीड़िता की गोपनीयता का उल्लंघन करता है, जिससे उसकी गरिमा और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है।

शोधपत्र यह भी रेखांकित करता है कि मीडिया ने कई बार सकारात्मक भूमिका निभाई है, जैसे निर्भया मामले में जनजागरण और न्याय की मांग को बल देना, परंतु ट्रायल बाय मीडिया और पहचान के परोक्ष प्रकटीकरण जैसे कृत्य न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्य होना चाहिए। निष्कर्षतः, मीडिया को संवेदनशील रिपोर्टिंग के माध्यम से न्याय प्रणाली में सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए, न कि पीड़िता की निजता का हनन कर उसके पुनर्वास को बाधित करना चाहिए।

कुंजीभूत शब्द

यौन अपराध, पीड़िता की निजता, मीडिया नैतिकता, संवैधानिक संरक्षण, न्यायिक सक्रियता, पत्रकारिता की जिम्मेदारी, गोपनीयता उल्लंघन, धारा 228A, अनुच्छेद 21, ट्रायल बाय मीडिया, महिला अधिकार, सामाजिक पुनर्वास, प्रेस काउंसिल आचार संहिता, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, पीड़िता संरक्षण कानून।

शोध विस्तार

दुष्कर्म भारतीय समाज में न केवल एक गंभीर आपराधिक कृत्य है, बल्कि यह एक स्त्री की अस्मिता, गरिमा और मानसिक स्वतंत्रता पर भी आघात है। इस प्रकार के अपराधों में पीड़िता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखना, उसके पुनर्वास, सामाजिक सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। भारतीय विधि व्यवस्था ने इस संवेदनशीलता को मान्यता देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 228A में स्पष्ट प्रावधान किए हैं, जो पीड़िता की पहचान प्रकाशित करने या उजागर करने पर कठोर दंड का प्रावधान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, निजता के अधिकार की मूल आधारशिला है। K.S. Puttaswamy बनाम भारत संघ (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जो दुष्कर्म पीड़िता की सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रासंगिक है।

मीडिया की भूमिका इस सन्दर्भ में दोधारी तलवार जैसी है। एक ओर यह अपराध के विरुद्ध जनमत तैयार करने, न्याय की मांग को स्वर देने और राज्य को जवाबदेह ठहराने का कार्य करता है, जैसा कि निर्भया मामले (2012) में देखा गया; वहीं दूसरी ओर कई बार मीडिया संस्थान "टीआरपी की दौड़" में पीड़िता की पहचान या उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि उजागर कर देते हैं, जो प्रत्यक्षतः या परोक्षतः गोपनीयता के उल्लंघन का कारण बनता है। यह न केवल धारा 228A का उल्लंघन है, बल्कि पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों के भी विपरीत है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित "पत्रकार आचार संहिता" स्पष्ट रूप से कहती है कि यौन अपराध मामलों की रिपोर्टिंग में विशेष सावधानी बरती जाए। फिर भी, कई बार मीडिया संस्थान न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली रिपोर्टिंग कर बैठते हैं, जिसे न्यायपालिका ने ट्रायल बाय मीडिया (Trial by Media) के रूप में चिन्हित किया है।

न्यायिक दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट है कि अदालतें पीड़िता की निजता की रक्षा के पक्ष में खड़ी रही हैं। State of Punjab v. Ramdev Singh (2003) तथा Tukaram v. State of

Maharashtra (1979) जैसे मामलों में अदालतों ने न केवल निजता के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया, बल्कि मीडिया की रिपोर्टिंग पर टिप्पणी भी की।

अतः स्पष्ट है कि दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की निजता एक संवैधानिक, कानूनी और मानवीय आवश्यकता है। मीडिया को चाहिए कि वह संवेदनशीलता, नैतिकता और जवाबदेही के साथ कार्य करे, ताकि न केवल न्याय की प्रक्रिया को समर्थन मिले, बल्कि पीड़िता के पुनर्वास एवं आत्म-सम्मान की रक्षा भी सुनिश्चित हो।

शोध पद्धति

इस शोधपत्र में "दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की निजता का अधिकार और मीडिया की भूमिका" का अध्ययन मुख्यतः विषय गुणात्मक शोध (Qualitative Research) पद्धति के माध्यम से किया गया है। यह विधि सामाजिक, संवैधानिक और विधिक पहलुओं को समझने और विश्लेषित करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, विशेषकर तब जब विषय मानवीय गरिमा, संवेदनशीलता और मीडिया आचरण जैसे तत्वों से जुड़ा हो।

1. डेटा संग्रह की विधियाँ

- **साहित्य समीक्षा -** इस शोध में संविधान, विधि पुस्तकों, शोध लेखों, न्यायिक निर्णयों और पत्रकारिता आचार संहिताओं का गहन अध्ययन किया गया है। इससे विषय से संबंधित वैचारिक, विधिक और नैतिक पहलुओं की व्यापक समझ विकसित की गई है।
- **माध्यमिक स्रोतों का उपयोग -** समाचार पत्रों, ऑनलाइन लेखों, रिपोर्टों, आयोगों की सिफारिशों (जैसे न्याय वर्मा समिति), सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों, तथा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की आचार संहिता को प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग किया गया।
- **न्यायिक दृष्टिकोण का विश्लेषण -** शोध में प्रमुख न्यायिक निर्णयों जैसे के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017), State of Punjab v. Ramdev Singh (2003), आदि का संदर्भ लेकर उनका विधिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

2. शोध का स्वरूप

यह शोध वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) दोनों स्वरूपों का सम्मिलन है। इसमें विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विधिक विकास, मीडिया की भूमिका, और न्यायिक दृष्टिकोणों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया गया है।

3. सीमाएं

- यह शोध मुख्यतः माध्यमिक स्रोतों पर आधारित है, अतः इसमें प्रत्यक्ष साक्षात्कार या सर्वेक्षण शामिल नहीं है।
- क्षेत्रीय विश्लेषण की अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री को आधार बनाया गया है।

निजता का अधिकार: संवैधानिक और विधिक आधार

निजता का अधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में से एक है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करता है। भारत में निजता का अधिकार सीधे तौर पर संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं था, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक अधिकार माना है। निजता के अधिकार का इतिहास भारतीय कानून में धीरे-धीरे विकसित हुआ है। प्रारंभ में इस अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अवयव माना जाता था, परन्तु समय के साथ यह व्यापक स्वरूप ले चुका है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, निजी जीवन के निर्णय, संचार की गोपनीयता, और डिजिटल डेटा की सुरक्षा भी शामिल है। यह अधिकार हर उस गतिविधि से संबंधित है जहां व्यक्ति के निजी जीवन, उसके विश्वासों, और उसकी निजी जानकारियों की रक्षा की आवश्यकता होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता को मौलिक अधिकार मानते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है। इस निर्णय ने यह भी स्पष्ट किया कि निजता का उल्लंघन व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्तता को प्रभावित करता है। कानूनी दृष्टिकोण से, निजता का अधिकार केवल व्यक्तियों के बीच सीमित नहीं है, बल्कि यह

राज्य के दुरुपयोग से सुरक्षा भी प्रदान करता है। इससे नागरिकों को सरकार के अवैध हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलती है, जैसे कि अनावश्यक निगरानी, डाटा संग्रहण, या निजता के अन्य उल्लंघन।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने डिजिटल युग में निजता के संरक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में भी संशोधन किए हैं, जो ऑनलाइन डाटा सुरक्षा और साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि निजता का अधिकार अब केवल पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह तकनीकी और डिजिटल क्षेत्रों तक विस्तारित हो गया है। निजता का अधिकार महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वर्ग अक्सर सामाजिक व कानूनी असुरक्षा का शिकार होते हैं। दुष्कर्म जैसी घटनाओं में पीड़िता की पहचान छुपाना, उसके पुनर्वास और न्याय प्रक्रिया में उसका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।

अतः निजता का अधिकार संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक निर्णयों और आधुनिक विधिक सुधारों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक ऐसा अधिकार है जो न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि एक स्वस्थ और न्यायसंगत समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मीडिया की भूमिका: सकारात्मक बनाम नकारात्मक

मीडिया समाज में सूचना का प्रमुख स्रोत होने के साथ-साथ सामाजिक चेतना और न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मामलों में मीडिया की भूमिका कई दृष्टिकोणों से देखी जाती है – जहां यह न्याय की प्रक्रिया में सहायता करता है, वहीं कभी-कभी इसका दुरुपयोग भी होता है।

सकारात्मक पहलू

1. **न्याय दिलाने हेतु जनचेतना बढ़ाना (निर्भया मामला)**

   2012 के निर्भया कांड ने भारतीय मीडिया की भूमिका को नई दिशा दी। इस मामले में मीडिया ने व्यापक कवरेज के माध्यम से न केवल जनता का ध्यान इस जघन्य अपराध

की ओर आकर्षित किया, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर चेतना भी जगाई। इसने सरकार और न्यायालयों पर तत्काल कार्रवाई का दबाव बनाया। मीडिया की यह सक्रिय भूमिका जनता और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने का माध्यम बनी और न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज हुई।

2. **पुलिस एवं न्यायिक संस्थानों पर दबाव बनाना**

मीडिया का सशक्त कवरेज पुलिस और न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने में मदद करता है। जब मीडिया दुष्कर्म जैसे मामलों की सही और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करता है, तो यह प्रभावित करता है कि मामले का शीघ्र और निष्पक्ष समाधान हो। मीडिया की सतर्कता के कारण कई बार उन मामलों को पुनः खोला गया, जिनमें प्रशासनिक लापरवाही देखी गई हो। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कड़ी साबित होती है।

3. **लैंगिक अपराधों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना**

मीडिया ने लैंगिक अपराधों के प्रति सामाजिक धारणाओं को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले समय में दुष्कर्म पीड़िताओं को अक्सर दोषी ठहराया जाता था, पर अब मीडिया के प्रभाव से समाज में सहानुभूति, समर्थन और पुनर्वास की समझ विकसित हो रही है। यह बदलाव महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रगति है।

नकारात्मक पहलू

1. पीड़िता की पहचान का परोक्ष रूप से खुलासा (जैसे–परिवार, पता, क्षेत्र)

मीडिया कभी-कभी संवेदनशीलता का अभाव दिखाते हुए सीधे पीड़िता का नाम न लेकर भी उसकी पहचान के संदर्भ में ऐसे संकेत देता है जो समाज में उसकी पहचान उजागर कर देते हैं। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228A का उल्लंघन है, जिससे पीड़िता को सामाजिक कलंक और मानसिक आघात होता है। परिवार, निवास स्थान या अन्य निजी जानकारियों का खुलासा करने से पुनः शोषण की संभावना बढ़ जाती है।

2. Sensationalism और पीड़िता के पुनः शोषण की स्थिति

कुछ मीडिया संस्थान दर्शक संख्या (TRP) बढ़ाने के लिए अत्यधिक सनसनीखेज रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसे समाचारों में पीड़िता की दयनीय स्थिति का अतिरंजित चित्रण, भावनात्मक अपील और विवादास्पद शीर्षक शामिल होते हैं। इससे पीड़िता का पुनः शोषण होता है, वह मानसिक रूप से और अधिक कमजोर हो जाती है, और समाज में उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनता है।

3. ट्रायल बाय मीडिया की प्रवृत्ति, जिससे निष्पक्ष न्याय बाधित होता है

मीडिया में किसी आरोपी या मामले के प्रति पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। ट्रायल बाय मीडिया के कारण आरोपी या पीड़िता दोनों पक्षों की छवि धूमिल होती है, और न्यायिक प्रक्रिया पर असामयिक दबाव बनता है। इससे न केवल निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होती है, बल्कि जनता के मन में पूर्वाग्रह भी उत्पन्न होते हैं।

न्यायिक दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण निर्णय

दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की निजता के अधिकार को लेकर भारत के न्यायालयों ने संवैधानिक और विधिक दोनों स्तरों पर स्पष्ट और सुदृढ़ रुख अपनाया है। न्यायपालिका ने न केवल पीड़िता की सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता को समझा है, बल्कि इस अधिकार की उल्लंघन पर सख्त चेतावनी भी दी है।

1. **केपुट्टस्वामी बनाम .एस. भारत संघ (2017)**

यह सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है जिसमें निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। कोर्ट ने कहा कि निजता व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। इस निर्णय ने दुष्कर्म पीड़िताओं सहित सभी नागरिकों को निजता का संवैधानिक संरक्षण दिया।

2. **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228A**

यह धारा सीधे तौर पर दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा का उल्लंघन करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और इसके पालन को न्याय की गरिमा बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना है।

3. **State of Punjab v. Ramdev Singh (2003)**

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना न केवल उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह उसके पुनर्वास और न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कोर्ट ने मीडिया को सतर्क रहने की चेतावनी दी और संवेदनशील मामलों में गोपनीयता बनाए रखने पर जोर दिया।

4. **Tukaram S. Dighole v. State of Maharashtra (2010)**

इस फैसले में न्यायालय ने ट्रायल बाय मीडिया की समस्या को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि मीडिया में अनुचित रिपोर्टिंग से आरोपी और पीड़िता दोनों की छवि प्रभावित होती है, जिससे निष्पक्ष न्याय बाधित होता है। कोर्ट ने मीडिया संस्थानों को आचार संहिता का पालन करने और संवेदनशील रिपोर्टिंग का निर्देश दिया।

5. Lillu @ Rajesh & Ors. v. State of Haryana (2017)

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की निजता की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और कहा कि दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

नैतिक उत्तरदायित्व और पत्रकार आचार संहिता

मीडिया का समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मामलों में, मीडिया की भूमिका न्याय और सामाजिक जागरूकता दोनों के लिए आवश्यक है। ऐसे में मीडिया का नैतिक उत्तरदायित्व और पत्रकार आचार संहिता का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि पीड़िता की निजता, सम्मान और न्याय प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे।

1. नैतिक उत्तरदायित्व

मीडिया को चाहिए कि वह रिपोर्टिंग करते समय संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दे। किसी भी मामले में, खासकर जब वह दुष्कर्म या यौन अपराध से जुड़ा हो, तब पत्रकारों का दायित्व होता है कि वे पीड़िता की पहचान छिपाएं, उसके दर्द और सम्मान का पूरा ध्यान रखें।

- **सत्य और निष्पक्ष रिपोर्टिंग:** मीडिया को तथ्यात्मक और संतुलित समाचार देना चाहिए, जिससे समाज में गलतफहमियां न पैदा हों।

- **पीड़िता की गरिमा का सम्मान:** पीड़िता को पुनः शोषण से बचाना और उसके मनोबल को बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए।
- **सामाजिक दायित्व:** मीडिया को ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे सामाजिक कलंक न बढ़े।
- **संवेदनशील भाषा का प्रयोग:** रिपोर्टिंग में ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो न तो पीड़िता को हतोत्साहित करे और न ही अपराध को सामान्य दिखाए।

2. पत्रकार आचार संहिता

भारतीय प्रेस काउंसिल ने पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाई है, जो विशेष रूप से संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

- धारा 6 के अनुसार, पत्रकारों को पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए, चाहे वह नाम हो, पता हो या अन्य कोई पहचान।
- मीडिया को किसी भी तरह की सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचना चाहिए, जिससे पीड़िता या आरोपी दोनों की छवि प्रभावित हो।
- कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करना आवश्यक है, खासकर तब जब न्यायालय ने गोपनीयता और सुरक्षा के आदेश जारी किए हों।
- पत्रकारों को समाज में सुधार लाने वाली रिपोर्टिंग करनी चाहिए, न कि केवल टीआरपी या व्यूज के लिए विवादित खबरें फैलानी चाहिए।

3. उदाहरण और प्रभाव

निर्भया मामले के बाद भारतीय मीडिया ने अपने नैतिक और कानूनी दायित्वों को गंभीरता से लेना शुरू किया। प्रेस काउंसिल ने कई बार मीडिया संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर न करें। इसके उल्लंघन पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मीडिया का नैतिक उत्तरदायित्व और पत्रकार आचार संहिता का पालन दुष्कर्म मामलों में न्याय और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इससे पीड़िता की निजता और सम्मान की रक्षा होती है, और समाज में सही सूचना का प्रसार संभव

होता है। इसलिए, पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को अपने दायित्वों का बखूबी एहसास कर, संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग में पूरी सजगता और नैतिकता से कार्य करना चाहिए।

निष्कर्ष

दुष्कर्म मामलों में पीड़िता की निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मीडिया की भूमिका न्याय और सामाजिक चेतना के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु यदि यह भूमिका संयमित और नैतिक न हो, तो वही माध्यम पीड़िता के पुनः शोषण का कारण भी बन सकता है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों और विधिक प्रावधानों से यह प्रमाणित होता है कि भारत की न्यायपालिका निजता के अधिकार को अत्यंत गंभीरता से लेती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मीडिया को आचार संहिता का पालन करते हुए रिपोर्टिंग करनी चाहिए, विशेषकर दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मामलों में।

शोध के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि जहाँ एक ओर मीडिया ने निर्भया जैसे मामलों में न्याय की मांग को बल दिया, वहीं दूसरी ओर कई बार पीड़िता की पहचान उजागर कर उसने न केवल कानून का उल्लंघन किया, बल्कि उसकी गरिमा को भी ठेस पहुँचाई। अतः आवश्यक है कि मीडिया संस्थान, पत्रकार और समाज इस संवेदनशीलता को समझें और पीड़िता के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दें। निजता, गरिमा और निष्पक्ष न्याय - इन तीनों मूल्यों के समन्वय से ही एक न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज की रचना संभव है।

सन्दर्भ (Works Cited)

1. **भारत का संविधान** भारत सरकार. *भारत का संविधान (संशोधित संस्करण)*, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 2023.
2. **K.S. Puttaswamy (Retd.) and Anr. v. Union of India and Ors.**, (2017) 10 SCC 1. Supreme Court of India. Landmark judgment on the Right to Privacy as a fundamental right under Article 21.

3. **State of Punjab v. Ramdev Singh**, (2004) 1 SCC 421. Supreme Court of India. Case discussing identity protection of rape survivors.
4. **Lillu @ Rajesh & Ors. v. State of Haryana**, (2013) 14 SCC 643. Supreme Court of India. Right to dignity and privacy of rape survivors emphasized.
5. **The Code of Criminal Procedure, 1973**, Section 228A. Government of India. Prohibits disclosure of identity of rape victims.
6. **Press Council of India**. *Norms of Journalistic Conduct*, 2022 Edition. Press Council of India, www.presscouncil.nic.in
7. Verma, J.S., Leila Seth, and Gopal Subramanium. *Report of the Committee on Amendments to Criminal Law*, 2013. Ministry of Home Affairs, Government of India.
8. Baxi, Upendra. *The Crisis of the Indian Legal System*. Vikas Publishing House, 1982.
9. Rajagopal, Krishnadas. "Why the right to privacy matters." *The Hindu*, 25 Aug. 2017, www.thehindu.com/news/national/right-to-privacy-as-a-fundamental-right/article19554485.ece
10. **Tukaram S. Dighole v. State of Maharashtra**, (2010) 4 SCC 329. Supreme Court of India. Emphasizes media restraint and trial by media concerns.

संदर्भ ग्रंथसूची (Bibliography)

1. भारत का संविधान. विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, 2023.
2. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. पत्रकार आचार संहिता (Norms of Journalistic Conduct), 2022 संस्करण. www.presscouncil.nic.in

3. वर्मा, जे.एस., लीला सेठ, और गोपाल सुब्रमणियम. दंड संहिता में संशोधन हेतु समिति की रिपोर्ट (Verma Committee Report), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2013.
4. बक्सी, उपेंद्र. भारतीय विधिक प्रणाली का संकट (The Crisis of the Indian Legal System). विकास पब्लिशिंग हाउस, 1982.
5. सिंह, महेंद्र पाल. *भारतीय संविधान का तुलनात्मक अध्ययन.* पूर्वी प्रकाशन, 2020.
6. शर्मा, सीमा. *भारतीय मीडियाआचार संहिता और उत्तरदायि :त्व.* यूनिवर्सिटी बुक हाउस, 2021.
7. Gupta, Ramesh. *Media and Law in India. LexisNexis* India, 2019.
8. Supreme Court of India. *K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India,* (2017) 10 SCC 1.